15 YEARS OF CELEBRATING THE MAHATMA

राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्

चतुर्थ तल , ब्लॉक–5, डॉ. एस. राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल परिसर
जवाहरलाल नेहरू मार्ग, जयपुर – 17

फोन न: 0141– 2715565 E-mail- rajsmsa.asfe@rajasthan.gov.in

क्रमांक – रास्कूशिप/जय/औवैशि/2020–21/ / 16030 दिनांक : 20/10/2020

मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं
पदेन जिला परियोजना समन्वयक,
समग्र शिक्षा, समस्त जिले।

अति0 जिला परियोजना समन्वयक,
समग्र शिक्षा, समस्त जिले।

विषय – स्पोर्टस् ग्रान्ट की राशि के उपयोग के सम्बन्ध में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत विद्यालयों में स्पोर्टस् ग्रान्ट की राशि उपयोग लिये जाने हेतु परिषद स्तर से दिशा निर्देश क्रमांक 14242 दिनांक 26.08.2020 के द्वारा जारी किये जा चुके है। विदित है कि गत सत्र 2019–20 में प्रारम्भिक शिक्षा के विद्यालयों के लिये राशि जारी की गयी थी। राशि उपयोग का प्रमाण पत्र आपके जिले से परिषद को उपलब्ध करवाया जा चुका है। वर्तमान सत्र में विद्यालयों के लिये प्राप्त होने वाली राशि के उपयोग के सम्बन्ध में आपको निर्देशित किया जाता है कि –

- परिषद से जारी दिशा निर्देशों में वर्णित खेल सामग्री सूची के अतिरिक्त विद्यालय की आवश्यकता अनुसार पारम्परिक स्थानीय खेलों को ध्यान में रखते हुये एसडीएमसी/ एसएमसी द्वारा अनुमोदित खेल सामग्री को परिषद के दिशा निर्देशों के नियमानुसार क्रय कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।
- विद्यालय में पूर्व में उपलब्ध स्पोर्टस् सामग्री के साथ–साथ खेल सामग्री की आवश्यकताओं / प्राथमिकताओं को भी सूचीबद्ध कराये ताकि खेल सामग्री में अनावश्यक दोहराव नहीं हो।
- विद्यालय तथा विद्यार्थियों की उपयोगिता अनुसार ही खेल सामग्री क्रय किया जाना सुनिश्चित करें।
- क्षेत्रीय एवं परंपरागत खेलों को प्रोत्साहित करने के लिए स्थानीय स्तर पर कम कीमत वाली खेल सामग्री एवं उपकरणों को प्राथमिकता से क्रय किया जाये।
- शारीरिक शिक्षक/ खेल प्रभारी शिक्षक द्वारा खेल सामग्री एवं खेल उपकरणों का उपयोग नियमित रूप से कराया जाना सुनिश्चित किया जाये।
- विद्यालयों द्वारा उपयोग में ली जा रही खेल सामग्री की नियमित रूप से सीआरसी / ब्लॉक / जिला स्तर के अधिकारियों द्वारा मानीटरिंग करना सुनिश्चित करें।

www.rajteachers.com

(डॉ0 रश्मि शर्मा)
अति0 राज्य परियोजना निदेशक–द्वितीय

क्रमांक – रास्कूशिप/जय/AS &FE/2020–21/ 16030 दिनांक :–20/10/2020

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. निजी सचिव, आयुक्त एवं राज्य परियोजना निदेशक, राज0 स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
2. निजी सहायक, अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक (I व II), राज0 स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
3. जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक / माध्यमिक) समस्त जिले।
4. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, समग्र शिक्षा, समस्त ब्लॉक।
5. संकुल सन्दर्भ केन्द्र प्रभारी, समस्त सीआरसी।
6. रक्षित पत्रावली।

उपायुक्त–सप्तम